



बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014  
संख्या FC-

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक—

विषय — मुंगेर जिलान्तर्गत NH-333 के 24वें कि०मी० पर उच्च स्तरीय माईनर RCC ब्रीज के निर्माण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2165 हें वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि मुंगेर जिलान्तर्गत NH-333 के 24वें कि०मी० पर उच्च स्तरीय माईनर RCC ब्रीज के निर्माण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.2165 हें वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय मुंगेर का प्रस्ताव वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 921 (ई०) दिनांक 28.08.1997 द्वारा “सुरक्षित वन” के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथांश के 24वें कि०मी० पर उच्च स्तरीय माईनर RCC ब्रीज के निर्माण में 0.2165 हें वन भूमि एवं 16 वृक्षों के पातन का आकलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर एवं वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है। पातित होने वाले सभी वृक्ष 60 CM से अधिक के हैं।

अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग-II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.6 प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। साथ ही साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि भीम बाँध वन्यप्राणी आश्रयणी एवं इसके Eco Sensitive Zone (ESZ) से बाहर है। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चिन्हित स्थल क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.2165 हेक्टेक्टर वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रु० 8.03 लाख प्रति हेक्टेक्टर के दर से रु० 1,73,850/- (रूपये एक लाख तिहतर हजार आठ सौ पचास) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाले वृक्षों (16) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात् 160 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1072/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।
5. परियोजना निर्माण के क्रम में क्षेत्रीय पदाधिकारियों याथ वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के दिशा निर्देश में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा तथा अधिक से अधिक वृक्षों का Translocate किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

हेक्टेक्टर

(ए० कें० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC 445

दिनांक—12/6/2019

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, लखीसराय मुख्यालय मुंगेर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० कें० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।